

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक: प.15(2)राज/वाद/96 पार्ट-19


जयपुर, दिनांक 14/11/22

:: आदेश ::

सवाईमाधोपुर जिले में स्थित सिविल न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु एक वर्ष के लिए अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नानुसार पैनल लॉयर की नियुक्ति की जाती है:-

क.सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	एनरोलमेंट नं०
1	2	3	4
1	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँली	श्री बत्तीलाल मीना	आर/1877/06
2	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास	श्री लालू शर्मा	आर/128/2000
3	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डार	श्री अंजनी कुमार शर्मा (तेहरिया)	आर/2609/03
		श्री हरिलाल बैरवा	आर/2487/01
4	न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाडा	श्री सोराज गुर्जर	आर/533/16


आज्ञा से


(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर।
- 8 जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
- 9 कोषाधिकारी, सवाईमाधोपुर।
- 10 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 11 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 12 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण